संख्या–40 / 33–3–2022–114 / 2012टी.सी.

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 08 जनवरी, 2022

विषयः– कोविड–19 से बचाव व उपचार हेतु आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासन द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का संदर्भ लें।

2– उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा–15 (तेईस)(ख) में महामारियों के विरूद्ध रोकथाम को ग्राम पंचायतों के कर्तव्यों में रखा गया है। इस क्रम में पूर्व में निर्गत प्रमुख सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–883 / 33–3–2020–114 / 2012 टी.सी. दिनांक 03.04.2020 एवं मुख्य सचिव, चिकित्सा अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या–1031 / पांच–5–2020 दिनांक 01.05.2020 व शासनादेश संख्या–1029 / 33–3– 2020–114 / 2012 टी0सी0 दिनांक 16.06.2020 के माध्यम से विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।

ग्राम पंचायत स्तर पर गठित निगरानी समितियों द्वारा पूर्व में कोविड–19 के नियंत्रण व उपचार में प्रभावी कार्यवाही की गयी है। चूँकि विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में अब पंचायत सहायक की तैनाती की गयी है। अतः निगरानी समिति निम्नवत पुनर्गठित की जाती है :–

- ग्राम प्रधान– अध्यक्ष।
- पंचायत सहायक–सदस्य, सचिव।
- ग्राम पंचायत सचिव–सदस्य।
- ग्राम पंचायत की समस्त आशा कार्यकत्री– सदस्य।
- ग्राम पंचायत की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री–सदस्य।
- ग्राम पंचायत की समस्त राशन डीलर–सदस्य।
- ग्राम पंचायत लेखपाल–सदस्य।
- ग्राम पंचायत रोजगार सेवक–सदस्य।
- ग्राम पंचायत स्वच्छाग्रही–सदस्य।
- ग्राम पंचायत के युवक मंगल दल के सदस्यगण–सदस्य।
- ग्राम पंचायत का चौकीदार–सदस्य।

Manoj

3— **समिति द्वारा मुख्यतः निम्न कार्य किया जाएगा :-**

(i) कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी मेडिकल किट का वितरण।

(ii) कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के क्वारन्टाईन/होम आईसोलेशन की निगरानी।

(iii) बाहर से आने वाले व्यक्तियों/ग्राम में कोरोना से प्रभावित व्यक्तियों का थर्मल स्कैनिंग/पल्स ऑक्सीमीटर से स्क्रीनिंग।

(iv) सैनीटेशन/सैनिटाईजेशन की कार्यवाही।

4— शासनादेश सं0—1075/33—1—2020—3003/2017, दिनांक 02.06.2020 के द्वारा अत्यधिक निर्धन व निराश्रित परिवारों को आर्थिक कठिनाईयों के दृष्टिगत विभिन्न परिस्थितियों में राज्य वित्त आयोग से सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड—19 के तीसरी लहर के अन्तर्गत बढ़ते हुए पॉजिटिव केसेज के दृष्टिगत निगरानी समिति निर्धन व निराश्रित परिवारों को उपरोक्त शासनादेश के अनुसार तत्काल मदद उपलब्ध करायेंगे।

5— पंचायत सहायक द्वारा किए गए कार्यों पर टिप्पणी प्रति सप्ताह ई—मेल आई.डी. —up.panchayatiraj@gmail.com व panchayatiraj03@gmail.com पर निर्धारित प्रारूप पर अपलोड/भेजी जाएगी। प्रारूप संलग्नक—1 पर है।

6— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

Manoj 8.1.22

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

<u>**संख्या व दिनांकः— तदैव।**</u>

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2. अपर मुख्य सचिव, राजस्व/गृह/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

5. निदेशक, पंचायतीराज/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रकरण की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे एवं समय—समय पर सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।

6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Manoj

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

संलग्नक–1

प्रारूप

क्रमांक	बिन्दु	संख्या
1	कोविड पॉजिटिव को मेडिकल किट का वितरण	
2	स्क्रीनिंग में पाए गए कोविड लक्षणयुक्त व्यक्ति	
3	सैनीटेशन/सैनिटाईजेशन के कार्यवाही की तिथि	
4	शासनादेश सं0–1075/33–1–2020–3003/2017, दिनांक 02.06.2020 के अनुसार की गयी मदद की सूचना	

Manoj